सार्वजनिक सूचना (प्रकाशन हेतु)

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 16/02/2026 के अनुपालन में समिति की आख्या के अनुसार बाह्य न्यायालय देवबन्द, सहारनपुर परिसर में स्थित साईकिल/मोटर साईकिल/ स्कूटर स्टैण्ड व चाय कैन्टीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 के दिनांक 26/02/2026 को अपराह्न 4:30 बजें बाह्य न्यायालय देवबन्द के भूतल पर स्थित सभा कक्ष में की जायेगी ।

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोली दाताओं द्वारा नीलामी के नियम व शर्तो का अवलोकन बाह्य न्यायालय देवबन्द के नजारत के तथा जनपद न्यायालय सहारनपुर, नजारत के बाहर लगे सूचनापट पर अवलोकन किया जा सकता है।

दिनांक-16/02/2026

16/02/26

विनीत कुमार वासवानी
(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय देवबन्द

कार्यवृत्त नीलामी

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 16/02/2026 के अनुपालन में सहारनपुर के बाह्य न्यायालय देवबन्द में स्थित चाय कैन्टीन व मोटरसाईकिल व साईकिल स्टैण्ड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अध्यक्ष नीलामी समिति श्री विनीत कुमार वासवानी अपर जिला जज बाह्य न्यायालय देवबन्द तथा सदस्य श्री परविन्द्र सिंह अपर सिविल जज सीनियर डिविजन बाह्य न्यायालय देवबन्द उपस्थित आये। तथा सदस्य श्री संजीव कुमार शर्मा कोर्ट मैनेजर सहारनपुर कमेटी में सदस्य होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम बाह्य न्यायालय देवबन्द में स्थित चाय कैन्टीन व मोटरसाईकिल व साईकिल स्टैण्ड प्रतिष्ठानों की बोली के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयी। उपसाध्यपाल देवबन्द को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सम्बन्ध में नियम व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन कराने के उपरान्त इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक सूचना न्यायपीठ व देवबन्द के नोटिस बोर्ड व उपजिलाधिकारी, तहसील देवबन्द के नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना एक राष्ट्रीय व तीन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल, एन०आई०सी० पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी नीलामी तिथि व विवरण अपलोड करायें नीलामी की अग्रिम तिथि बाह्य न्यायालय देवबन्द के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में दिनांक 26/02/2026 समय 4.30 बजे नियत की जाती हैं।

संजीव कुमार शर्मा	श्री परविन्दर सिंह 16/02/2026	16/02/26 श्री विनीत कुमार वासवानी
(सदस्य नीलामी कमेटी)	(सदस्य नीलामी कमेटी)	(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
(कोर्ट मैनेजर)	अपर सिविल जज (सी.डि.)	(अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश)
सहारनपुर	बाह्य न्यायालय देवबन्द	बाह्य न्यायालय देवबन्द
(अनुपस्थित)		

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
17.2.2026

बाह्य न्यायालय देवबन्द (सहारनपुर) के चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल/ स्कूटर/साईकिल स्टैण्ड की नीलामी वर्ष 2026-27 नियम व शर्ते

दीवानी न्यायालय परिसर बाह्य न्यायालय देवबन्द में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैण्ड) की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते निर्धारित की गयी है जिसका अनुपालन अनबन्धित निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की अनुमति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली जायेगी।

1.ठेका निर्गत किये जाने के पश्चात माह मार्च के अन्त तक ठेके की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत के अतिरिक्त, शेष 75 प्रतिशत धनराशि तीन किश्तों में क्रमशः माह जून, माह सितम्बर तथा माह दिसम्बर की 15 तारीख तक जमा की जायेगी। किश्त का भुगतान ना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

2. बोलीदाता/ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति ठेकाधारक को करनी होगी।

3. बोलीदाता/ठेकेदार धारक को सम्पूर्ण ठेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि में उक्त सम्पति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।

4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।

5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देते समय चाय कैन्टीन के लिए अंकन 20,000 रुपये (बीस हजार रूपये) तथा मोटर साईकिल स्टैण्ड के लिए अंकन 70,000 रुपये (सत्तर हजार रूपये) रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नहीं छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण नही किया जायेगा।

8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, मोटरसाईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।

10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।

11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. ठेके के त्रैमासिक आधार पर देय किश्त माह की प्रत्येक 15 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक बयाज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।

16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानो पर बीड़ी-सिगरेट, गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।

17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिड़िग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था टेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।

18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।

20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।

21.उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन होने एवं किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने के कारण जिला जज को उपरोक्त ठेको को निरस्त करने का अधिकार होगा।

संजीव कुमार शर्मा (सदस्य नीलामी कमेटी) (कोर्ट मैनेजर) सहारनपुर (अनुपस्थित)	श्री परविन्दर सिंह (सदस्य नीलामी कमेटी) अपर सिविल जज (सी.डि.) बाह्य न्यायालय देवबन्द	श्री विनीत कुमार वासवानी (अध्यक्ष नीलामी कमेटी) (अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश) बाह्य न्यायालय देवबन्द

Approved

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
17.2.2026